राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर
फोन न: 0141–2228066, फैक्स न: 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

No. F-8 ( ) RMSC/EPM/Circular/14-15/ 3955 Date- 15/7/14

1.निदेशक (जन.स्वा) / (आर.सी.एच.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
2.संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– निगम द्वारा आपूर्ति उपकरणो की प्राप्ति एवं स्थापना के कम में।

उपरोक्त विषय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के यह ध्यान में लाया गया है कि निगम द्वारा आपूर्ति किये जा रहें उपकरणो की प्राप्ति (Receipt) एवं स्थापना (Installation) में चिकित्सा संस्थानो के प्रभारी अधिकारी के स्तर पर अत्यधिक विलम्ब हो रहा है।इससे एक तरफ तो महीनो तक उपकरण काम में नही आते एवं दूसरी तरफ योजनाओ में भुगतान रूके होने के कारण राशि व्यय की वास्तविक प्रगति नही हो पाती हैं।

चिकित्सा संस्थानो की मांग एवं राशि उपलब्ध कराने के पश्चात ही उपकरणो की आपूर्ति की जाती है। उपकरण प्राप्ति एवं स्थापना प्रकिया निगम के पत्रांक F08() PAJS/M.H/2013/1555 दिनांक 20.11.13 से समस्त चिकित्सा संस्थानो को अवगत कराया गया है। संदर्भ सुलभ प्रति भी संलग्न है। इसके अतिरिक्त मुख्य बिन्दुओ का विवरण कय आदेश में भी दिया जाता है। ऐसी स्थिति में समय पर प्राप्ति रसीद उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा स्थापना में विलम्ब एवं असहयोग उचित नहीं है। इस विषय में दिनांक 12.07.14 को अयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्स में भी विस्तृत चर्चा की गई थी।

उपकरणो की प्राप्ति (Receipt) एवं स्थापना (Installation) में विलम्ब के कारण फर्म को आपूर्ति अवधी में वृद्धि देने एवं परिनिर्धारित नुकसानी (L.D.Charges) तय करने आदि की पेचीदगियाँ उत्पन्न होती है। फर्मो को भुगतान में विलम्ब होता है तो भविष्य की निविदाओ मे अधिक दरे आने व प्रतियोगिता कम होने की सम्भावना भी बनती हैं। राज. चिकित्सा सेवा निगम द्वारा संभाग मुख्यालयो पर बायोमेडीकल इन्जीनियर नियुक्त किये हुए है यदि मांगकर्ता (Consignee) चाहे अथवा आवश्यक हो तो उनकी सेवाये / सहयोग इस कार्य हेतु लिया जा सकता है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मांगकर्ता अधिकारियों (Indenting Officer) एवं प्राप्तकर्ता (Consignee) को इस बाबत उचित निर्देश प्रदान करावें। अपने विभाग के स्तर पर भी पर्यवेक्षण एवं निगरानी (Supervision & Monitoring) हेतु एक नोडल अधिकारी लगा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करावें। जिससे निगम के सम्बन्धित अधिकारियो एवं बायोमेडिकल इन्जीनियरों द्वारा विभागो से समन्वय कर अविलम्ब उपकरणो को स्थापना करवाई जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता देवें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
जयपुर।

No. F-8 ( ) RMSC/EPM/circular/14-15/ 3955 Date- 15/7/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।:–

1.मिशन निदेशक , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन , जयपुर।
2. निदेशक जन.स्वा. / आर.सी.एच. / एड्स / अस्पताल प्रशासन / एम.एस.यू / ई.एस.आई. / आई.ई.सी.।
3.समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक , राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं समस्त अधीक्षक सम्बद्ध चिकित्सालय।
4. विशेषाधिकारी , चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
5. कार्यकारी निदेशक (वित्त) राजकीय चिकित्सा सेवा निगम लि0 जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर / अजमेर / कोटा / भरतपुर
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
9. समस्त बायोमेडिकल इन्जीनियर (संभाग) जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर / अजमेर / कोटा / भरतपुर।

कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.)
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
जयपुर।